

dy 815 (Admin 2/AB)
20/3/12

303

F.No. 5(2)-B(PD)/2011
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the 19th March, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: *Advances to Government servants — Rate of interest for purchase of conveyances during 2011-2012.*

The undersigned is directed to state that the rates of interest for advances sanctioned to the Government servants for purchase of conveyances during 2011-2012 i.e. from 1st April, 2011 to 31st March, 2012 are revised as under:

	Rate of interest per annum
(i) Advance for purchase of conveyance other than motor car (viz. motor cycle, scooter etc.)	9% ✓
(ii) Advance for purchase of motor car	11.5% ✓


(A.K. Bhatnagar)
Under Secretary (Budget)

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India with spare copies for IFA, Controller of Accounts and Pay and Accounts Offices.
2. Finance Secretaries of UTs without legislature.

Copy forwarded to:—

1. C&AG of India, New Delhi.
2. C.G.A., New Delhi.
3. C.G.D.A., New Delhi.
4. All AGs and Director of Accounts.
5. Supreme Court of India.
6. UPSC, New Delhi.


(A.K. Bhatnagar)
Under Secretary (Budget)

Smt Neel
Sy
20-03-12

304-

एफ.संख्या 5(2)-बी(पी.डी.)/2011

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नयी दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञापन


विषय:- सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम - 2011-2012 के दौरान वाहन खरीदने के लिए ब्याज की दर।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011-2012 के दौरान अर्थात् पहली अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 की अवधि में वाहनों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले अग्रिमों के लिए ब्याज की दरों में संशोधन निम्नानुसार है:-

**ब्याज की
वार्षिक दर**

- | | |
|---|--------------|
| (i) मोटर-कार को छोड़कर अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (अर्थात् मोटर-साइकिल, स्कूटर आदि) | 9 प्रतिशत |
| (ii) मोटर-कार खरीदने के लिए अग्रिम | 11.5 प्रतिशत |

adm I / A+B



(ए.के. भटनागर)
अवर सचिव (बजट)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों, लेखा नियंत्रकों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लिए अतिरिक्त प्रतिलिपियाँ सहित।
2. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक, नई दिल्ली।
2. लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली।
3. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली।
4. सभी महालेखाकार और लेखा निदेशक।
5. भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।


(ए.के. भटनागर)
अवर सचिव (बजट)